

रीडर

२५-५-१५ वकील उन्नयपक्ष उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय काउन्स क्लेमपेश किया। वास्ते जबाब उलजबाब पत्रावली दि० २६-५-१५ को पेश हो।

२६-५-१५ वकील उन्नयपक्ष उपस्थित हैं। वकील वादी जबाब उलजबाब पेश करने को समय चाहते हैं। अतः पत्रावली दि० २७-५-१५ को पेश हो।

२३-५-१५ पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उन्नयपक्ष उपस्थित हैं। श्रीमान P.O. साहब के पास है। अज्ञात पर है/का रकबा पत्रावली दि० २४-५-१५ को पेश हो।

1279-80

रीडर

16-५-१५ पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण लोक अदालत में कैम्प दिंगोर्या पर दि० २२-५-२०१५ को रखा जावे। पक्षकारों को नोटिस जारी किया जावे।

२२-५-२०१५ पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प दिंगोर्या पर पेश हुई। वादिया पूना देनी व प्रतिवादी रूपचन्द उपस्थित हैं। वादिया व प्रतिवादी ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। भूमि ख० नं० २६५ रकबा ०.६० हेक्टर ग्राम दिंगोर्या का नि० रूपचन्द सीमाज्ञान पटवारी व निरदावर की लीम से मौके पर जाकर फरका दिया जावे। सीमाज्ञान में यदि वादी की भूमि प्रतिवादी के दबी हुई है तो वह भूमि प्रतिवादी छोड़ देगा तथा यदि प्रतिवादी की भूमि वादी के दबी है तो वादी छोड़ देगा। वादीय को अपना दावा व न.इ. वापस लेने की अनुमति दी जावे।

राजीनाम पेश होने पर दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव/प्रलोभन के अपने-अपने मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया है एवं भूमि की सीमाज्ञान का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामों के आधार पर वादीय को दावा व न.इ. प्राप्प वापस लेने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार गंगापूर को लिखा जावे कि ILR व पटवारी की लीम गदित कर भूमि ख० नं० २६५ रकबा ६० रकबा ग्राम दिंगोर्या का वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>दोनों पक्षों को सीमाज्ञान करा देवे। सीमाज्ञान में एक पक्ष की भूमि दूसरे पक्ष के दबी हुई पाई जाती है तो राजीनामे के अनुसार वह पक्ष दूसरे पक्ष की भूमि को तुरन्त खाली कर देगा। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार पचा डिक्ली जारी किया जावे। पत्रावली पैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा, म.) (मुनिद्वै यादव) सदस्य अध्यक्ष</p> <p>लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प दिंगोट्या</p> <p>लोक अदालत गंगापुर सिटी सचिव उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प दिंगोट्या</p>	

पूनादेवी

चन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- दिवोर्टिया

गंगपुर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 22/5/15

गंगपुर सिटी
सूना देवी बनाम शंभु चन्द
प्रकरण संख्या :- 115/14 अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्रीमती सूना देवी व/० गुजरमल, गुर्जर, दिवोर्टिया
बताने हैं, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सुलह हो अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-
हम पक्षकारों में लोक अदालत की मामलें हैं राजीनामा
कराई है। सुन रक. नं. 265 रक. 0.60 रु. वादी गंगपुर सिटी
सूना देवी पक्षकार शंभु चन्द व शिखर लाल की बीच में है।
व्यक्ति का नाम सुना देवी। जिसमें वादी सुना देवी व शिखर लाल
हैं। पक्षकारों को 3 दिन में पक्षकारों को सुन रक. 0.60 रु.
कराई है। वादी सुना देवी व शिखर लाल व शिखर लाल

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

पक्ष 1. सूना देवी पक्षकार शंभु चन्द
2. श्रीमती सूना देवी
3. श्रीमती सूना देवी
4.

प्रतिवादी पक्ष 1. शंभु चन्द पक्षकार शिखर लाल
2. श्रीमती सूना देवी
3. श्रीमती सूना देवी
4.

गंजीबर्द
संघ के हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत दिगोर्टिया
(सं.मां) नाम सं.सं. गंगपुर सिटी (सं.मां)

गंजीबर्द
प्रधानाचार्य सरपंच
राजकीय उच्च न्यायालय के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत दिगोर्टिया
(प्रतिवादी पक्ष) नाम सं.सं. गंगपुर सिटी (सं.मां)

प्रार्थी/वादी सूना देवी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी शंभु चन्द
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
किया गया। अतः राजीनामा हस्तख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

लोक अदालत
गंगपुर सिटी
कैम्प दिवोर्टिया

(सुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी
कैम्प दिवोर्टिया

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के-नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) दिंगोल्या

पीठासीन अधिकारी :- मुनिदेव यादव, R.A.S.

पूजा देवी पत्नि गूजरमम, गुर्जर उनवान
निपसी दिंगोल्या तहसिल गंगापूर सिटी बनाम नरपचन्द पुत्र रतनलाल, गुर्जर
निपसी दिंगोल्या तहसिल गंगापूर सिटी

कदमा नम्बर :- 115/2014

दिनांक :- 22-5-2015

वादी की ओर से स्वयं वादिया की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-5-2015 को मुनिदेव यादव (नाम पीठासीन अधिकारी).....
मि[k.M vf/kdkjh] उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया
जा है और डिक्री दी जाती है कि -

पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादिया का दावा व ग.इ. प्राण्य
पिस लौटाया जाता है। तहसीलदार गंगापूर सिटी ज.ए. व पत्नारी की टीम बनाकर
सिखण्ड 265 रकबा 60 एयर ग्राम दिंगोल्या का दोनों पक्षों की उपस्थिति में पक्षों को
सीमा नाम करा देवे। सीमा नाम में एक पक्ष की भूमि दूसरे पक्ष के दबी पाई जाती है तो
पक्ष दबी हुई भूमि को तुरन्त स्वाप्ती कर देगा। राजीनामा नियम का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
केम्प दिंगोल्या

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
अर्जी के लिए स्टाम्प		
प्लीडर की फीस		
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
आदेशिका की तामील		
कमिश्नर की फीस		
जोड़		जोड़